

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

उनवान

1. श्री वरदा पिता रोडा भील निवासी भावली तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता हरलाल जाट निवासी भावली तह. मावली।
2. श्रीमती देउबाई बेवा हरलाल जाट निवासी भावली तह. मावली।
3. श्री अमरा पिता रोडा भील निवासी भावली तह. मावली।
4. श्री हरलाल पिता रोडा भील निवासी भावली तह. मावली।
5. श्रीमती कमली पुत्री रोडा भील निवासी भावली तह. मावली।
6. श्री लोगर पिता गमाना भील निवासी भावली तह. मावली।
7. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री गमाना भील निवासी भावली तह. मावली।
8. श्रीमती कंकु बाई पत्नी गमाना भील निवासी भावली तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 281/17 वाद

निर्णय दिनांक : 10.02.2018

वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा की आराज नम्बर 693 रकबा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 को 1/4 हिस्सें एवं प्रतिवादी सं. 6 से 8 को 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात हैं।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली